## LL.B. VI Sem. Examination, May-2018 Interpretation of Statutes

Time: Three Hours]

(K-6001)

[M.M.: 100

नोट : सभी खण्डों को निर्देशानुसार हल कीजिए। Attempt all the Sections as per instructions. खण्ड-अ (Section-A)

नोट : सभी प्रश्नो के उत्तर दें। Attempt all questions

- 1. संविधि के विभिन्न अंग क्या-क्या हैं? What are the different parts of a Statute?
- 2. संविधियों के कठोर एवं दण्डिक विनिर्माण क्या हैं? What are the Strict Construction and Penal Construction of Statues.
- 3. परत्तुक एवं अपवाद के बीच अन्तर स्पष्ट करें। Explain the distinction between proviso and Exception.
- 4. संविधियों की व्याख्या में पूर्वेक्ति को किस सीमा तक सहायता के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? To what extent precedent can be used as an aid to the interpretation of statutes.
- 5. लाभकारी एवं निरोधात्मक विनिर्माण क्या हैं? What is Benificial and Restrictive Construction? खण्ड-ब (Section-B)
- नोट: निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। Attempt any two questions out of the following three questions. Each question carries 10 marks. http://www.ccsustudy.com
  - 6. संविधियों की व्याख्या करने में स्पष्टीकरण एवं दृष्टान्तों की भूमिका का मूल्यांकन करें। Evaluate the role of Illustration and Explanation in interpretation of Statutes.
  - 7. इजेस्डम जेनरिस नियम की व्याख्या कीजिए। Explain the rule of Ejusdum Generis.
  - 8. संविधान के अर्थ की व्याख्या कीजिए। Explain the meaning of Constitution.

खण्ड-स (Section-C)

http://www.ccsustudy.com

- नोट : किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। Attempt any three questions. Each question carries 20 marks.
  - 9. अभिलेख पत्रों एवं संविधियों के निर्माण की अवधारणा में क्या कोई अन्तर है? वसीयतों के निर्माण के सामान्य सिद्धान्तों का वर्णन करें। Is there any difference in approach between the construction of deeds and statutes? State the general principles of construction of wills.
- 10. विद्यायी प्रत्यायोजन की प्रकृति एवं विस्तार की व्याख्या करें। प्रत्यायोजित विद्यायन की क्या कोई सीमा है? Explain the scope and nature of legislative delegation. Is there any limit to delegated legislation?
- 11. संविधियों की संवैधानिकता के बारे में क्या अवधारणाएं हैं? संवैधानिकता के क्या प्रभाव होते हैं? What are the presumption in favour of constitutionality of a statute? What are the effects of constitutionality?

## http://www.ccsustudy.com

- 12. क्या कोई अधिनियम पूर्णगामी हो सकता है? सामान्य नियमों का वर्णन करें, एवं उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें पूर्वगामी अधिनियमों का प्रचलन स्वीकार्य है।Can a statute oparate retrospectively, state the general principles and discuss the circumstances under which retrospective oparation of statutes is permissible.
- 13. रिष्टी का नियम से क्या समझते हैं? अध्यतन भारतीय वादों के साथ व्याख्या कीजिए। What is meant by mischief rule? Explain with the help of recent Indian Cases.
- 14. निर्णित वादों के आधार पर विवेचना कीजिए कि अधिनियम के अर्न्तवचन में, अभिकथनों के उद्देश्यों एवं कारणों को किस सीमा तक ध्यान में रखा जायेगा। Discuss with reference to decided cases, indicating how far the statement of objects and Reasons can be taken into consideration in interpreting a statute.

http://www.ccsustudy.com

http://www.ccsustudy.com Whatsapp @ 9300930012 Send your old paper & get 10/-अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रूपये पार्ये, Paytm or Google Pay से

http://www.ccsustudy.com